पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :–73/2022

1. सुरेन्द्रकुमार पुत्र तनसुखराम जाति जाट निः सिलवाला कला तहः टिब्बी।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री राकेश झींझा अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं धारा 136 एलआरएक्ट

आदेश **दिनांक :–11.10.2022**

यह वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि चक 21 बीएलडी बी के मु.नं0 175/28 के किला नं0 1 ता 25 की 24.10 बीघा अ0क0 भूमि प्रार्थी को दिनांक 14.09.99 को आवंटन कर आवंटन आदेश जारी कर दिया गया जिसका ना0सं0 247 के द्वारा उपरोक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी सुरेन्द्रकुमार पुत्र तनसुखराम जाति जाट निः सिलवाला कला के नाम से दर्ज कर दी गई। परन्तु उक्त रिकॉर्ड को ऑनलाईन करते समय राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम तनसुखराम की मनसुखराम कर दिया गया जिसे प्रार्थी शुद्ध करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में मनसुखराम की जगह तनसुखराम करवाना चाहता है।

सर्वप्रथम वादपत्र/प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसील खाजूवाला पटवारी पटवार हल्का दन्तौर रिपोर्ट अनुसार आवंटन पट्टा में प्रार्थी का नाम सुरेन्द्रकुमार पुत्र तनसुखराम अंकन है जिसका ना0सं0 247 दिनांक 21.09.99 में सुरेन्द्रकुमार पुत्र मनसुखराम जाति जाट निः सिलवाला कला तहः टीबी जिः हनुमानगढ़ विशेष आवंटी दर्ज हुआ जो आदिनांक तक चला आ रहा है। प्रार्थी मुताबिक प्रार्थनापत्र संलग्न दस्तावेज अनुसार सुरेन्द्रकुमार पुत्र मनसुखराम की जगह सुरेन्द्रकुमार पुत्र तनसुखराम करवाना चाहता है। वादी/प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र/वादपत्र को साबित करने के पक्ष में दस्तावेज राशनकार्ड, [illegible] ग्रामपंचायत तस्दीक पेश की साथ ही जिला अभिलेखागार बीकानेर के क्रमांक [illegible]9 दिनांक 18.07.22 द्वारा उक्त रकबे की मूल आवंटन पत्रावली पेश की [illegible] वादी/प्रार्थी का नाम सुरेन्द्रकुमार पुत्र तनसुखराम अंकित है। जो कि वादी/प्रार्थी [illegible] सही नाम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:11:24 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी/वादी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे पटवारी रिपोर्ट पटवार हल्का दन्तौर तहसील खाजूवाला व वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत

अन्य दस्तावेजों के आधार पर वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। पटवारी रिपोर्ट पटवार हल्का दन्तौर तहसील खाजूवाला की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। पटवार हल्का दन्तौर की रिपोर्ट व वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है वादी/प्रार्थी का उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड अंकन में लिपिकीय त्रुटि से वादी/प्रार्थी का नाम सुरेन्द्रकुमार पुत्र तनसुखराम के बजाय सुरेन्द्रकुमार पुत्र मनसुखराम गलत दर्ज हो गया। अतः वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व पटवारी रिपोर्ट एवं मूल आवंटन पत्रावली वादी/प्रार्थी के वादपत्र/प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं इसलिए वादी/प्रार्थी के पिता का नाम दुरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः वादी का वादपत्र पटवारी रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं मूल आवंटन पत्रावली नकल जिला अभिलेखागार बीकानेर के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि वादी की उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सुरेन्द्रकुमार पुत्र मनसुखराम की जगह सुरेन्द्रकुमार पुत्र तनसुखराम नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेशित की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:11:24 IST
Reason: SelfAttested